



३२११

दूरध्वाम २२८६७०९  
२२८०७१०

नव चेतान बैंड १० जारीक नाम, लहान-१०-२२८०१

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : २२८५/३६/७६/एक/२०१५-१६  
सेवा में,

दिनांक : २४ अगरता २०१५

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद - अमरोहा।

विषय : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूड़ा द्वारा आपके जनपद (झूड़ा) को आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना की धनराशि का प्रेषण।

गहोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को आसरा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है—

### धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)

बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0021000100253473	IFSC Code PUNB0002100	89.695 (धनराशि लाख रु० में)

क्र०रा०	जनपद / निकाय का नाम	अनुदान संख्या	आवासों की संख्या	किश्त रांख्या	अवमुक्त धनराशि
01	अमरोहा/हसनपुर	37	36	I	51.275
02	अमरोहा/गजरौला	83	36	I	38.42
	योग				89.695

उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों में विनियुक्त आसरा योजना में प्रतावित उपरोक्त आवासों की परियोजनाओं में योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जाये:

- उप्र० सरकार के द्वारा जारी शारानादेशों के अनुरूप आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- योजनान्तर्गत जो भी कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय पिपि/नियम एवं पर्यावरणीय वाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो उप्र० शारान द्वारा निर्धारित व्याज अवगुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- उक्त धनराशि झूड़ा/कार्यदायी संस्था द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जायें, क्योंकि स्वीकृत परियोजना/निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण न कराये जाने की दशा में कोई भी मूल्य वृद्धि भान्य नहीं होगी।



321/2

पुस्तक 2286700  
2286710

नव बोर्ड फैला, 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 5 प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्ण यथागतिक केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की रक्षेत पर कठौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6 सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का सपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यापर्तन अनुमत्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी रांगुका रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 7 सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से हूडा द्वारा प्रथम किश्त की प्रेषित धनराशि में उल्लिखित एम०ओ०य० (अनुबन्ध) की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी होगी अथवा अनुबन्ध निष्पादित करने के उपरान्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाये।
- 8 हूडा द्वारा कार्यदायी रांगा को अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि के अनुरूप स्थल पर सम्पादित किये गये कार्य निर्धारित मानक के अनुरार गुणवत्तापरक हैं, आदि का अनुश्रवण स्थानीय स्तर पर हूडा के राहायक परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)  
पिता नियन्त्रक

## पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सुवनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- निदेशक, सी० एण्ड डी०एरा०, ज०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- राहायक परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम अनुभाग, सूडा।
- कम्युटर सेल सूडा।
- लेखा किंगाम-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक